न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 37/2018

अनवान : –

1. प्रमील पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी राजपुरिया ढिल्लो तहसील सिरसा।
2. विक्रम पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लो तहसील सिरसा।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
2. निर्मला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
3. कान्ता पुत्री बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
4. कमला पत्नी स्व0 बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

6. विकाश पुत्र बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 110/69 के ख0न0 199 की 26.6302 हैक्ट भूमि जिसमें से 1/2 हिस्सा में 1/8 हिस्सा यानि 1.4768875 हैक्ट भूमि के वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हरिसिंह पुत्र ख्यालीराम खातेदार काश्तकार थे। हरिसिंह पुत्र ख्यालीराम का देहांत हो चुका है तथा उनकी पत्नी चन्दो देवी भी फौत हो चुकी है। इनकी मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 की बहिनों प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है जो भूमि हरिसिंह के हिस्से में आती थी उसका वादी को खातेदार काश्तकार तस्लीम कर लिया था। इसलिए वादी 1.4768875 हैक्ट भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

बनवारी उर्फ सतवीर पुत्र ख्यालीराम का भी देहांत हो चुका है। वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 उनके पुत्र है तथा प्रतिवादी स0 3 पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 4 बनवारी की पत्नी है। बनवारी उर्फ सतवीर के देहांत के बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हकत्याग वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी स0 का 1.4768875 हैक्ट भूमि में बहिब के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आशय की वादीगण घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 4 व 6 ने राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 110/69 के ख0न0 199 की 26.6302 हैक्ट भूमि में 1.4768875 हैक्ट भूमि का वादी को एवं इसी खाता की 1.4768875 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हरिसिंह पुत्र ख्यालीराम एवं बनवारी उर्फ सतवीर पुत्र ख्यालीराम का नाम कलमजन किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली का स्वर्गवास हो चुका है बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:39 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता संख्या 112/110 के ख0न0 199 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है, वादी का कथन है कि बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली का स्वर्गवास हो चुका है बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना जो भी हक हिस्सा था वादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स0 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 4 व 6 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक बनवारी पुत्र ख्याली व हरिसिंह पुत्र ख्याली के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनाम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 112/110 के ख0न0 199 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में हरिसिंह पुत्र ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर 0.984591 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 को एवं 0.4922958 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 112/110 के ख0न0 199 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में बनवारी पुत्र ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर 1.4768875 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 37 / 2018

अनवान : –

1. प्रमील पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी राजपुरिया ढिल्लो तहसील सिरसा।
2. विक्रम पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लो तहसील सिरसा।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
2. निर्मला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
3. कान्ता पुत्री बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
4. कमला पत्नी स्व0 बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

6. विकाश पुत्र बनवारी उर्फ सतवीर जाति जाट निवासी रामपुरिया ढिल्लों तहसील सिरसा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 37 सन 2018 निर्णय दिनांक 03/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 112/110 के ख0न0 199 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में हरिसिंह पुत्र ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर 0.984591 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 को एवं 0.4922958 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 112/110 के ख0न0 199 की कुल 23.6302 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में बनवारी पुत्र ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर 1.4768875 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर